फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

सूरजमल बनाम हरचन्दराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 03/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04/01/2021	प्रार्थी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 36 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नौसर पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप कारित करने व ग्रेवल सडक का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 08/02/2021 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा नौसर पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 466, 477, 478 रकबा क्रमशः 0.4045, 0.3560, 17.7171 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के कब्जे व काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार की ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभयपक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 08/02/2021 को पेश हों। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-11 श्री गौर ने मूल वाद में वकील श्री रेवताराम जाखड द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/03/2021 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	

08/03/2021 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-11 के वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल ईन्तजार होकर आगामी दिनांक 20/04/2021 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

20/04/2021 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-11 के वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल ईन्तजार होकर आगामी दिनांक 07/06/2021 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

07/06/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल वाद जरिये Not press खारीज हो चुका है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी का उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु